

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2 -33/2019 - 636 (17) पटना, दिनांक :- 14/8/19

डा० साफिया हैदरी, व्याख्याता (संविदा), पिडोडौंशिया विभाग, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को दिनांक-01.08.2019 से 27.01.2020 तक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-12534, दिनांक-17.09.2018 में निहित प्रावधान के तहत मातृत्व अवकाश (180 दिन) की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह दूसरी संतान से अधिक न हो।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 17/एल 2 -33/2019 - 636 (17) पटना, दिनांक :- 14/8/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/ डा० साफिया हैदरी, व्याख्याता (संविदा), पिडोडौंशिया विभाग, पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी राहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।